न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

अशोक बनाम काबूलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रार्थना पत्र आदि ... मु.नं. -143/24
07-10-24	पत्रावली उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी बहस टी.आई. हेतु समय चाहते हैं। न्यायहित में समय दिया जाता है। वास्ते बहस टी.आई. पत्रावली दिनांक 17-10-24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
17.10.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थि। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते आदेश/निर्णय पत्रावली दिनांक 06.11.2024 को पेश हों। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
06.11.2024	वास्ते आदेश/निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी गई है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आंशिक रूप से स्वीकार कियो जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.30 18:24:26
Reason: Self Attested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
143 / 2023	2023 / 319	13.10.2023	06.11.2024

उनवान प्रकरण

अशोक कुमार वर्मा पुत्र प्रभूदयाल आयु 34 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम लादिया तन चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

—प्रार्थी

बनाम्

1. बाबूलाल पुत्र प्रभूदयाल जाति कुमावत आयु 40 वर्ष
2. रामजीलाल पुत्र घीसाराम जाति बलाई आयु 45 वर्ष
3. मूलाराम पुत्र माधोराम जाति खाती आयु 60 वर्ष

   समस्त निवासीगण ग्राम लादिया तन चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमाकाथाना राज0
4. पटवारी पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

———अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

श्री सुभाष कुमार वर्मा, एड0 प्रार्थी अभिभाषक।

श्री मनोज कुमार शर्मा, एड0 अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 अभिभाषक।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:24:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 291/2008 तन ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा भू.अभिलेख नि. सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना में अवस्थित होकर उक्त भूमि की किस्म गैर. मु. पहाडी है। उक्त भूमि में से एक सार्वजनिक लोकहित का रास्ता जो उक्त भूमि से होकर मुख्य सडक भूमि खसरा नम्बर 2990/298 पर जाता है। अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 ने आपस में साजकर रोड से सटाकर कीमती भूमि का बाला–बाला रूप से राजनैतिक प्रभाव का फायदा उठाने की नियत से रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 291/2008 में प्रार्थी के आवागमन एवं शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग में मजाहमत पैदा कर रहे है व जोर जबरन ताकत के बल पर रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर मौके का फायदा उठाकर पुख्ता डण्डे व मकानात, दुकानात आदि का निर्माण करना चाहते है। अप्रार्थीगण लड़ाकू प्रवृत्ति के है, तथा अप्रार्थीगण कहने, सुनने समझाने से मान नही रहे है एंव आम रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 291/2008 पर अतिक्रमण करने एवं रात दिन पुख्ता डण्डे का निर्माण कर रास्ते की भूमि पर कब्जा कर रास्ते की भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रहे है व मौके पर झगड़ा–फसाद करने पर उतारू है। अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 प्रार्थी के रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने तथा निर्माण करने एवं प्रार्थी के शांतिपूर्ण रास्ते के आवागमन एवं उपयोग–उपभोग में मजाहमत करने की मंशा से मौके पर निर्माण सामग्री डालकर निर्माण करने पर उतारू है तथा प्रार्थी ने इस हेतु अप्रार्थीगण को मना किया तो अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 प्रार्थी को एहलानिया धमकी देने लग गये कि हम रास्ते पर अतिक्रमण करके पुख्ता दुकानात का निर्माण करेगे तथा हमारा कोई कुछ नही बिगाड सकता है तथा ग्राम पंचायत एवं तहसील में ... हम ... आदमी है। हमारे को कोई रोकने वाला नही है तथा हम हमारी इच्छानुसार ... मकानात, दुकानात आदि का निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:24:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) * श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) *

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

करके रहेंगे। यदि अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 प्रार्थी के उपभोग–उपभोग में आ रहे प्रार्थी व ग्रामवासियो के रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कर लेगें व प्रार्थी एवं इसके परिजनो के शांतिपूर्ण आवागमन व रास्ते के उपयोग–उपभोग में जबरन मजाहमत पैदा करेंगे या रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर दुकानात आदि का निर्माण कर रास्ते की भूमि को खुर्द–बुर्द कर देगें तो प्रार्थी को असुविधा उत्पन्न होगी एवं उपयोग–उपभोग से एव आने जाने के रास्ते से वंचित हो जायेगे एवं प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगी। अप्रार्थीगण की इस गलत, अवैध व मनमानी कार्यवाही को प्रार्थी जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। बिना प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 10.09.2023 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मे दर्ज रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 291/2008 पर अतिक्रमण कर पुख्ता डण्डे का निर्माण करने एवं प्रार्थी के रास्ते के शांतिपूर्ण आवागमन एवं उपयोग–उपभोग आदि में मजाहमत करने की धमकी देने से व कहने सुनने से भी नही मानने से उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 को मय परिवारजन, एजेन्ट सर्वेन्ट, नौकर, प्रतिनिधि ता–दौराने वाद जरिये अस्थाई निषेंधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 291/2008 तन ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा भू.अभिलेख निरीक्षक सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना में किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमण नही करे, ना ही कोई निर्माण करे, ना ही मकानात दुकानात आदि का निर्माण करे, ना ही अपने उत्तराधिकारी स्थानापन्न प्रतिनिधि आदि से करवाये ना ही प्रार्थी एवं इनके परिजनो के शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग आवागमन में कोई मजाहमत पैदा करे ना ही प्रार्थीगण एवं इसके परिजनो के वाहनो के आवागमन आदि मे कोई व्यवधान पैदा करे, ना ही स्वयं का कब्जा करे ना ही दी[illegible]कब्जा करवाये ना ही ऐसा कोई कृत्य करे या करावे जिससे प्रार्थी [illegible] के आ[illegible] एवं उपयोग–उपभोग पर को विपरीत असर पडता हो एवं अप्रार्थीगण नम्बर 4 ता [illegible] को भी जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण या निर्माण आदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:24:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

नही होने देवे एवं रास्ते पर हो रहे निर्माणात को रूकवाये जाने हेतु आदेश फरमाये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 3 की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की। शेष अप्रार्थीगण संख्या– 4 व 5 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या– 4 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 291/2008 तन् ग्राम चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना पर वकील प्रार्थी ने बहस सुने जाने का निवेदन किया है।

जिस पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक गांव व एक ही परिवार के है। उक्त भूमि में से एक सार्वजनिक लोकहित का रास्ता है जो उक्त भूमि से होकर मुख्य सड़क भूमि खसरा नम्बर 2990/298 पर जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने आपस में साज कर रोड़ से सटाकर कीमती भूमि का बाला बाला रूप से फायदा उठाने की नियत से रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 291/2008 में प्रार्थी के आवागमन एंव शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा कर रहे है व जोर जबरन ताकत के बल पर रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर मौके का फायदा उठाकर पुख्ता डण्डे व मकानात, दुकानात् आदि का निर्माण करना चाहते है। अप्रार्थीगण कहने सुनने से नहीं मान रहे है एंव आम रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 291/2008 पर अतिक्रमण करने एंव रात दिन पुख्ता डण्डे का निर्माण कर रास्ते की भूमि पर कब्जा कर रास्ते की भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा होने व मौके पर झगड़ा फिसाद करने पर उतारू होने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त गै0 मु. पहाड़ी से सटाकर एक रास्ता मुख्य सड़क तक जाता है जिस रास्ता है उस पर अतिक्रमण करते हुए निर्माण करने पर आमादा है एंव दिवार का निर्माण भी कर लिया, जिसको

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:24:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कलक्टर (फास्ट ट्रेक) (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी ने एस.एच.ओ. थोई को भेजकर रूकवाया। अप्रार्थीगण का वहां कोई टाईटल नहीं है। अप्रार्थीगण ने जवाब में भी स्वयं ने स्वीकार किया है कि उक्त भूमि गै0 मु0 पहाड़ स्थित है। जहाँ पर अन्य घर है, उनमें घरेलू कनेक्शन हो रखा है परन्तु प्रार्थी के घर पर घरेलू कनेक्शन भी इस जगह पर नहीं है। इस जगह बाबत प्रार्थी अपना कोई स्वामित्व कब्जा बताकर नहीं कर रहे है। अप्रार्थीगण रास्ते की भूमि पर निर्माण करके अतिकमण कर रहे है, जिस पर प्रार्थी को आपति होना अवगत कराया है। अप्रार्थीगण मुख्य सड़क पर है, तथा प्रार्थी पीछे है। अप्रार्थीगण आम रास्ते पर कोई अतिकमण नहीं करें तथा रास्ते को बन्द नहीं किये जाने हेतु प्रार्थी ने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। प्रार्थी वकील ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय द्वारा जारी अंतरीम स्थगन आदेश दिनांक 13.10.2023 को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक कंर्फम किए जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का भूमि ख0 न0 291 / 2008 पर कोई कब्जा काश्त नही है तथा ना ही कभी रहा है बल्कि वकील प्रार्थी द्वारा दावे में पार्टी तीन लोगों को बनाया। इन तीनों के बिजली के बिल पेश किये हैं। 100 घरों की आबादी वहां बसी हुई हैं। जिसे आबादी में संपरिवर्तन करवाने बाबत ग्राम पचांयत मे प्रस्ताव भेजे हैं। उक्त भूमि खसरा नम्बर 291 / 2008 रकबा 2.31 हैक्टर में ग्राम लादिया–चीपलाटा की काफी आबादी सैकड़ों वर्षो से बसी हुई होने एंव काफी पुख्ता रिहायशी मकानात बनाकर मय परिवार आबाद होकर रिहायश करते आ रहे है एंव काफी घरेलू विधुत कनेक्शन भी स्थापित है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 291 / 2008 रकबा 2.3100 हैक्टर की किस्म गै.मु. पहाड़ के बजाय गै.मु. आबादी दर्ज करवाये जाने बाबत एंव आबादी विस्तार हेतु प्रस्ताव लिया जाकर ग्राम पंचायत चीपलाटा में कार्यवाही चल रही है। प्रार्थी एक चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने उक्त भूमि के लगती हुई वन विभाग की खातेदारी भू[illegible] पर [illegible]जायज तरीके से अतिक्रमण कर रखा है एंव अवैध निर्माण कर [illegible] को हटाये जाने की कार्यवाही को रूकवाने एंव अतिक्रमण' को बनाये रखने क[illegible]बदनियति से प्रार्थी द्वारा गलत व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:24:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

बनावटी तथ्यों युक्त दावा व प्रार्थना पत्र टी.आई. पेश की है। किस्म गै० मु० पहाड बाबत प्रार्थी को किसी प्रकार का दावा व प्रार्थना पत्र टी.आई. पेश करने का कोई अधिकार नहीं होता है एंव ना ही प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई वाद कारण ही उत्पन्न होता है। गै० मु० पहाड की जमीन पर प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है एंव ना ही प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति ही होती है। इसलिए वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज फरमाये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, नक्शा ट्रैस, आधार कार्ड की फोटोप्रति, फोटोग्राफ इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दर्ज वादग्रस्त आराजी भूमियों की मुताबिक जमाबंदी संवत 2074–2077 में किस्म गै0मु0 पहाड राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना रिकार्ड से प्रमाणित होता है। जिसके अनुसार किस्म गै0मु0 पहाड की भूमियों में प्रार्थी व अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई हक अधिकार सृजित नही हो सकते है। क्योंकि वादग्रस्त आराजी भूमियों की किस्म गै0 मु0 पहाड सरकारी भूमि है। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं होना तथा ना ही उनके बुजुर्गान का कब्जा काश्त रहने बाबत ऐसा कोई स्वामित्व संबंधी दस्तावेजात अप्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया है। जिसके आधार पर अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार उक्त वर्णित भूमि में प्राप्त नहीं होते है। जहॉ तक अप्रार्थीगण [illegible] भूमि खसरा नम्बर 291/2008 रकबा 2.3100 हैक्टर के लगती हुई [illegible] भूमि पर नाजायज तरीके से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:24:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कलक्टर (फास्ट ट्रेक) ... (नीमकाथाना)

7.

अतिक्रमण कर रखा है एवं अवैध निर्माण होने का कथन किया है। वह मूल वादपत्र में बाद तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान् की साक्ष्य, सुनवाई लिये जाने के उपरान्त ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना होगा।

अतः ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 291/2008 रकबा 2.3100 हैक्टर तन् ग्राम चीपलाटा की किस्म गै0 मु0 पहाड़ होने से सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है परन्तु उक्त खसरा नम्बर 291/2008 रकबा 2.3100 हैक्टर में चल रहे प्रचलित रास्ता जो सार्वजनिक हित में आवागमन के उपयोग में आने को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी/अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 वादग्रस्त जायगा खसरा नम्बर 291/2008 पर पर कोई अतिक्रमण/निर्माण/कब्जा नहीं करेगें तथा यदि कोई आम रास्ता प्रचलित हो तो प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 उसे अवरूद्ध नहीं करेगें तथा ना ही सार्वजनिक आवागमन को ही रोकेगें। अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:24:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

संख्या–5 तहसीलदार श्रीमाधोपुर उक्त राजकीय भूमि के लैण्ड होल्डर की हैसियत से वादग्रस्त जायगा के प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। मूल वादपत्र के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे राजस्व ग्राम चीपलाटा भू.अ.निरीक्षक सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 291/2008 रकबा 2.3100 हैक्टर पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेगें तथा ना ही दीगर से करवायेगें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि भूमि खसरा नम्बर 291/2008 रकबा 2.3100 हैक्टर भूमि की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:24:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) ★ श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) ★